officers of various State Governments. The Service Rules lay down that departmental officers, who possess not less than 4½ years service in the grade of Assistant Director/Assistant Executive Engineer/Research Officer would be eligible for consideration for promotion to the above grade. Further, as per the Recruitment Rules service in the Class II grade of Extra Assistant Director/ Assistant Engineer/Assistant Research Officer to the extent of half of each completed year, subject to a maximum of 2½ years, is treated as service in the grade of Assistant Director/Assistant Executive Engineer/Research Officer for computing the prescribed length of service for the purpose of determining the eligibility of officers for promotion as Deputy Director/Executive Engineer. It has also been laid down that all the Assistant Directors/Assistant Executive Engineers/ Research Officers will be required to pass a departmental examination to become eligible for promotion to the next higher grade of Deputy Director/Executive Engineer. All Assistant Directors, who fulfill the above prescribed criteria are eligible for promotion as Deputy Director/ Executive Engineer irrespective of the position whether they possess a degree or diploma in engineering. In order to fill up promotion quota vacancies in the above grade, Departmental Promotion Committee (Group A) met recently and prepared a panel of officers, who fulfilled/ would fulfill the prescribed criteria during the currency of the panel and were found fit for promotion.

(d) Does not arise.

मन्त्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किया जाना

9478. श्री रामधारी शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मन्त्रियों और राज्य मन्त्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को आवास आवंटित करने के क्या नियम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मन्त्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों को स्वीकृत कोटा से अधिक आवास उपलब्ध किया गया है, जबकि कुछ मन्त्रियों के कर्मचारियों को कोई आवास नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मंत्री के सिफारिश पर, उनके साथ सम्बद्ध वैयक्तिक कर्मचारियों के दो सदस्यों (ग्रुप 'ए' के अलावा) को तदर्थ आवटन दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, तदर्थ आवटन ऐसे किसी अधिकारी को भी दिया जा सकता है जिसे मन्त्री द्वारा या तो राज्य सरकार से या बाहरी सेवा से विशेष रूप से चुना गया हो । ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों के किसी सदस्य को भी तदर्थ आवटन दिया जा सकता है । जहां एक मन्त्री किसी एक मंत्रालय / विभाग से अधिक का प्रभारी है तो मंत्री के वैयक्तिक कर्मचारियों के लिए तदर्थ आवटन की पात्रता की गणना प्रत्येक मंत्रालय / विभाग के लिए अलग अलग की जानी होती है ।

(ख) और (ग) . मौजूदा मन्त्रियों के बारे में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां निर्धारित कोटे से अधिक वास की व्यवस्था की गई हो ।

नर्मदा परियोजना पर काम

9479. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा परियोजना सबंधी काम कुछ विभागों में आरम्भ हो गया है और उन विभागों के नाम क्या हैं और तत्सबंधी ब्योरा क्या है ;

(ख) नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत कितनी योजनाएं हैं, तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और उनके लिये कितने व्यय की मंजूरी दी गई है ;

(ग) नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत कितनी नहरें बनाई जा रही है और उनपर कितना व्यय होने की संभावना है ; और

(घ) क्या नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत लालपुर बांध बनाये जाने की योजना का अनुमोदन कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या लालपुर बांध बनाने की बजाये नहरें बनाने की कोई योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ग) : गुजरात की नर्मदा परियोजना का, जिसे नवगाम परियोजना भी कहा जाता है, निर्माण-कार्य तभी हाथ में लिया जा सकता है जब नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण अपना फैसला दे देगा । लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के लिए बुनियादी सुविधाओं के निर्माण-कार्य को प्रारम्भ करने के लिए गुजरात की 1978–79 की वार्षिक योजना में 3.12 करोड़ रुपए की सांकेतिक व्यवस्था की गयी है ।

(ख) नर्मदा बेसिन की उन स्कीमों की सूची संलग्न है, जिनके लिए 1978–79 के लिए परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

(घ) हेरन जलाशय परियोजना, जिसमें लालपुर गांव के निकट हेरन नदी पर एक जलाशय बांध के निर्माण और गुजरात के बड़ौदा जिले के छेता उदयपुर तालुक में दोनों किनारों पर नहर प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना है, मंजूर की जा चुकी है । इस परियोजना पर 25.26 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इससे 36 420 हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था होगी ।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ (हजार हैक्टेयर)	1978–79 के लिए अनुमादित परिव्यय (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
	गुजरात			
बृहत				
1.	सुकी	2311.00	21.25	275.00
2.	कर्जन	3720.00	61.97	275.00
3.	हेरन	2526.00	36.42	175.00
लघुत				
4.	रामी	65.00	1.34	29.56

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
बृहत्				
5.	सुक्ता . .	870.88	18.58	200.00*
6.	कोलार** . .	725.00	36.70	60.00* (इसमें 4 अन्य स्कीमों का प्रावधान शामिल है)
7.	बारगी** . .	20000.00	518.00	1000.00*
8.	नर्मदा सागर** .	22260.00	250.00	67.00*
9.	तवा . .	9142.00	332.00	876.00*
मध्यम				
10.	बिछुआ ताल . .	124.86	2.32	2.00*
11.	बिछुआ लतिया काम्पलेक्स	244.20	4.86	कोई प्रावधान नहीं
12.	बंजार . .	208.79	2.43	47.00*
13.	माहगांव तोला ताल .	138.09	2.83	37.00*

*टिप्पणी : मध्य प्रदेश के मामले में 1978-79 के लिए निर्दिष्ट परिव्यय योजना आयोग के कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार है।

**ये स्कीमें अनुमोदित नहीं हैं।

भागीरथ

9480. श्री राम नरेश कुशवाहा: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रकाशित 'भागीरथ' पत्रिका के उद्देश्यों क्या हैं और बत तीन वर्षों में अंग्रेजी और हिन्दी में लेख लिखने वाले लेखकों की संख्या कितनी थी और उनको कितना पारिश्रमिक दिया गया ;

(ख) सम्पादकीय बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा उनकी अर्हताएं क्या हैं और उनकी गत बैठक कब हुई थी और उसके निर्णयों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या हिन्दी 'भागीरथ' जो मुख्यत: सिंचाई और विद्युत की पत्रिका है अब केवल सिंचाई की पत्रिका बन गई है और इसके विशेषांक में प्रकाशित लेखों पर पुरस्कार नहीं दिये जाते हैं और सम्पादकीय बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से नहीं की जाती ; और

(घ) ऐसी अनियमितताओं को दूर करके और कर्मचारियों की व्यवस्था करके तथा अंग्रेजी पत्रिका को उपलब्ध अन्य सभी सुविधाओं को हिन्दी 'भागीरथ' को उपलब्ध करा कर स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?